

(06 मार्च 2012 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 90 का अनुबंध)

निवासी व्यक्ति के लिए 200,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना
के तहत विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवेदन-व-घोषणा
(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

- ए. नाम
बी. पता
सी. खाता सं.
डी. स्थायी खाता संख्या (पीएएन)

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें)
2. प्रयोजन

III. निधियों का स्रोत

IV. लिखतों का प्रकार

ड्राफ्ट -----
प्रत्यक्ष विप्रेषण-----

V.वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 200.. में योजना के तहत किए गए प्रेषण के ब्योरे

दिनांक : _____ राशि _____

VI. हिताधिकारी के ब्योरे

1. नाम :-----
2. पता :-----

3. देश
*4. बैंक का नाम और पता-----
*5. खाता सं.-----

(*सिर्फ तभी आवश्यक है जब हिताधिकारी के बैंक खाते में विप्रेषण सीधे जमा किया जाना है)

यह आपको प्राधिकृत करने के लिए है कि आप मेरे खाते के नाम डाले और विदेशी मुद्रा का प्रेषण करें/ उपर्युक्त व्योरो के अनुसार ड्राफ्ट जारी करें (जो लागू न हों उसे काट दें)।

घोषणा

में, एतद्वारा घोषणा करता/करती

(नाम)

हूं कि आवेदनपत्र की मद सं. V के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से खरीदी गई अथवा अनिवासी घनिष्ठ रिश्तेदार (रिश्तेदारों) को ऋण या उपहार स्वरूप रुपये में एनआरओ खाते में जमा करने के लिए उपयोग की गयी राशि सहित प्रेषित की गई विदेशी मुद्रा 2,00,000 अमरीकी डॉलर (दो लाख अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है जो इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा है तथा प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त प्रेषण के लिए इस्तेमाल किए गए निधियों के स्रोत मेरे हैं और इसका उपयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

आवेदक के असली (natural) संरक्षक के हस्ताक्षर @

नाम

@ यदि आवेदक अवयस्क है तो आवेदन पत्र अवयस्क के असली (natural) संरक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनियों द्वारा/ को नहीं किया जा रहा है और यह कि विप्रेषण इस योजना के तहत समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम :

स्थान :

हस्ताक्षर :

दिनांक :

स्टाम्प और मोहर